

2/c


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5991 नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 30, 2015/आश्विन 8, 1937
No. 5991 NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 30, 2015/ASVINA 8, 1937

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितंबर, 2015

सा. का.नि. 743(ब).- केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का 20) की धारा 39 की उप-धारा (2) के उपबंध (ख) के साथ पठनीय उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्याह्न भोजन नियम, 2015 है।
(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं- इन नियमों में, जब तक अन्यथा संदर्भ से अपेक्षित न हो-

(क) "अधिनियम" राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का 20) से अभिप्रेत है;

(ख) "खाद्यान्न" से चावल, गेहूं, मोटे अनाज अथवा इनके मिश्रण से अभिप्रेत है, जो केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के द्वारा अवधारित क्वालिटी सन्निधियों के अनुरूप होंगे;

(ग) "खाद्य सुरक्षा मत्ता" से संबंधित राज्य सरकार द्वारा पात्र व्यक्तियों को इस अधिनियम की धारा 8 के अधीन दिया गया खाद्यान्न और धनराशि से अभिप्रेत है;

(घ) "भोजन" से पके-पकाये गर्म भोजन से अभिप्रेत है;

(ङ) "स्कूल" सर्व शिक्षा अभियान के अधीन समर्थित मदरसों और मकतबों सहित स्थानीय निकाय, सरकार या सरकार की सहायता द्वारा चल रहे कोई स्कूल सम्मिलित हैं।

(च) "धारा" से इस अधिनियम की धारा अभिप्रेत है, और

(छ) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं।

3. पोषक भोजन के लिए पात्रता- कक्षा I से VIII में अध्ययन वाले छह से चौदह वर्ष की आयु समूह के भीतर प्रत्येक बालक, जो स्कूल में अभ्यावेशन करता है और उपस्थित होता है, को स्कूल अवकाश के दिनों को छोड़कर प्रत्येक दिन, अधिनियम की अनुसूची 2 में यथा-विनिर्दिष्ट पोषक मानकों वाला भोजन मुफ्त दिया जाएगा।
4. भोजन परोसने का स्थान- भोजन केवल स्कूल में परोसा जाएगा।
5. भोजन तैयार करना और मानकों तथा क्वालिटी का अनुरक्षण- (1) भोजन केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मध्याह्न भोजन मार्गदर्शक सिद्धांतों और इस अधिनियम की अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट उपबंधों के अनुसार तैयार किया जाएगा।
(2) प्रत्येक स्कूल में स्वच्छ रीति से भोजन पकाने की सुविधा होगी। शहरी क्षेत्र में स्थित स्कूल जहां कहीं अपेक्षित हो, केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार भोजन पकाने के लिए केंद्रीकृत पाकशाला संबंधी सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं लेकिन बालकों को भोजन केवल स्कूल में ही परोसा जाएगा।
6. मध्याह्न भोजन स्कीम के लिए राज्य संचालन-सह निगरानी समिति- मध्याह्न भोजन स्कीम के लिए राज्य संचालन-सह-निगरानी समिति (एसएसएमसी) अधिनियम का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के आशय से स्कीम के कार्यान्वयन तथा भोजन के पोषक मानकों और क्वालिटी को बनाए रखने के लिए तंत्र की स्थापना की निगरानी करेगी।
7. मध्याह्न भोजन योजना में स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) की भूमिका- (1) निःशुल्क और अनेत्राय बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अधीन स्कूल प्रबंधन समिति को यह दायित्व सौंपा गया है कि वह मध्याह्न भोजन स्कीम के कार्यान्वयन की निगरानी करेगी और मध्याह्न भोजन स्कीम के कार्यान्वयन में, बालकों को दिए जाने वाले भोजन की क्वालिटी, खाने पकाने के स्थान की साफ-सफाई और स्वच्छता बनाए रखने पर निरीक्षण रखेगी।
(2) स्कूल का प्रधानाध्यापक अथवा प्रधानाध्यापिका को सशक्त अधिकार होगा कि वह स्कूल में छाद्यान्न, पकाने की लागत आदि अस्थायी तौर पर उपलब्ध न होने के मामले में मध्याह्न भोजन स्कीम जारी रखने के प्रयोजन के लिए स्कूल में उपलब्ध निधि का उपयोग करे। मध्याह्न भोजन के लिए निधियां प्राप्ति होते ही तत्काल स्कूल के खाते में उपयोग को गई धनराशि की प्रतिपूर्ति कर दी जाएगी।
8. प्रत्यापित प्रयोगशालाओं द्वारा भोजन का परीक्षण- (1) सरकारी खाद्य अनुसंधान प्रयोगशालाएं अथवा विधि द्वारा प्रत्यापित या मान्यता प्राप्त कोई भी प्रयोगशाला बालकों को दिए जाने वाले पके-पकाये गम भोजन का मूल्यांकन करेगी और इसे प्रमाणित करेगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह भोजन अधिनियम की अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट पोषक मानकों और क्वालिटी के अनुरूप हो। राज्य के खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग भोजन का पोषक मूल्य और क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए इसके नमूने लेंगे।
(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट विभाग यादृच्छिक रूप से चुने गए स्कूलों और केंद्रीकृत पाकशालाओं से हर माह कम से कम एक बार नमूने एकत्र करेंगे और इन्हें उप-नियम (1) में निर्दिष्ट प्रयोगशालाओं को परीक्षण के लिए भेजेंगे।
9. खाद्य सुरक्षा भत्ता- (1) यदि छाद्यान्न, पकाने की लागत, ईंधन उपलब्ध न होने या रसोईया-सह-हेल्पर के अनुपस्थित रहने अथवा किसी अन्य कारण से किसी भी स्कूल दिन के स्कूल में मध्याह्न भोजन उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो नियम 3 में निर्दिष्ट प्रत्येक बच्चे को राज्य सरकार नियम 2 के उपबंध (ग) में यथा-परिभाषित खाद्य सुरक्षा भत्ता नीचे दिए गए रीति से आगामी मास की 15 तारीख तक उपलब्ध कराएगी:-
(क) बालक की पात्रता के अनुसार छाद्यान्न की मात्रा; और
(ख) राज्य में उस समय अभिभावी खाना पकाने की लागत।
(2) केंद्रीकृत पाकशाला द्वारा भोजन की आपूर्ति न करने के मामले में, केंद्रीकृत पाकशाला से उप-नियम (1) के अनुसार खाद्य सुरक्षा भत्ता वसूला जाएगा।
परंतु यदि कोई बालक उसे दिया गया भोजन किसी भी कारण से नहीं लेता है, तो राज्य सरकार अथवा केंद्रीकृत पाकशालाओं से खाद्य सुरक्षा भत्ते का कोई दावा नहीं किया जाएगा।
परंतु यह और कि छाद्यान्न और भोजन की क्वालिटी के कारणों के लिए राज्य सरकार अथवा केंद्रीकृत पाकशालाओं से कोई दावा नहीं किया जाएगा।
(3) यदि स्कूल दिनों में लगातार तीन दिन तक अथवा एक मास में कम से कम पांच दिन तक मध्याह्न भोजन उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो राज्य सरकार अभिकथित प्रक्रियाओं के अनुसार व्यक्ति अथवा अधिकरण पर जिम्मेदारी त्रित करने के लिए कारवाई करेगी।

(4) जहाँ कहीं भी केंद्रीय सरकार की एक मास के अंदर इस मामले का समाप्त

हैत हो, राज्य सरकार इस मामले को केंद्रीय सरकार के साथ उठाएगी जो

10. व्यावृत्ति- इन नियमों में निहित बात, इसका पक्ष से जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों अथवा मध्याह्न भोजन स्कीम से संबंधित कार्यकलापों के बारे में केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले संभाव्यतः को प्रभावित नहीं करेगी।

[फा. सं. 1-6/2009-डेस्क (एमडीएम)]

गया प्रसाद, निदेशक (मध्याह्न भोजन)

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of School Education and Literacy)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2015

G.S.R.743(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of sub-section (2) of section 39 of the National Food Security Act, 2013 (20 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Mid-Day Meal Rules, 2015.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.
2. **Definitions.** – In these rules, unless the context otherwise requires, -
 - (a) "Act" means the National Food Security Act, 2013 (20 of 2013);
 - (b) "foodgrains" means rice, wheat, coarse grains or any combination thereof conforming to such quality norms as may be determined, by order, by the Central Government from time to time;
 - (c) "food security allowance" means the food grain and money to be paid by the concerned State Government to the entitled person under section 8 of the Act;
 - (d) "meal" means hot cooked meal;
 - (e) "School" includes any school run by Local Bodies, Government or aided by the Government including madrasas and maqtabs supported under Sarva Shiksha Abhiyan;
 - (f) "section" means the section of the Act; and
 - (g) words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.
3. **Entitlement for nutritional meal.** – Every child within the age group of six to fourteen years studying in classes I to VIII who enroll and attend the school, shall be provided meal having nutritional standards as specified in Schedule II of the Act, free of charge every day except on school holidays.
4. **Place of serving meal.** – The meal shall be served to children at school only.
5. **Preparation of meals and maintenance of standards and quality.** – (1) The meal shall be prepared in accordance with the Mid Day Meal guidelines issued by the Central Government from time to time and in accordance with the provisions of Schedule II of the Act.
(2) Every school shall have the facility for cooking meal in hygienic manner. Schools in urban area may use the facility of centralised kitchens for cooking meals wherever required in accordance with the guidelines issued by the Central Government and the meal shall be served to children at respective school only.
6. **State Steering-cum-Monitoring Committee for Mid-Day Meal Scheme.** – The State Steering-cum-Monitoring Committee (SSMC) shall oversee the implementation of the scheme with a view to ensure implementation of the Act including establishment of a mechanism for maintenance of nutritional standards and quality of meals.
7. **Role of School Management Committee (SMC) for monitoring Mid-day meals scheme.** – (1) The School Management Committee mandated under Right to Free and Compulsory Education Act, 2009 shall also monitor implementation of the Mid-day meal Scheme and shall oversee quality of meals provided to the children, cleanliness of the place of cooking and maintenance of hygiene in implementation of mid day meal scheme.
(2) The Headmaster or Headmistress of the school shall be empowered to utilise any fund available in school for the purpose of continuation of Mid Day Meal Scheme in the school in case of temporary unavailability of

food grains, cooking cost etc. in the school. The utilised fund shall be reimbursed to the school account immediately after receipt of mid day meal funds.

8. **Testing of Meals by accredited Laboratories** - (1) Hot cooked meal provided to children shall be evaluated and certified by the Government Food Research Laboratory or any laboratory accredited or recognized by law, so as to ensure that the meal meets with the nutritional standards and quality specified in Schedule II to the Act. The Food and Drugs Administration Department of the State may collect samples to ensure the nutritive value and quality of the meals.

(2) The Department referred to in sub-rule (1) shall collect the samples at least once in a month *from randomly selected schools or centralised kitchens* and send such samples for examination to the laboratories referred to in sub-rule (1).

9. **Food Security Allowance.** - (1) If the Mid-Day Meal is not provided in school on any school day due to non-availability of food grains, cooking cost, fuel or absence of cook-cum-helper or any other reason, the State Government shall pay food security allowance as defined in clause (c) of rule 2 to every child referred to in rule 3 by 15th of the succeeding month in the manner provided herein below:-

- (a) Quantity of Food grains as per entitlement of the child; and
(b) Cooking cost prevailing in the State.

(2) In case of non-supply of meal by the Centralised Kitchen, the Food Security Allowance shall be realised from the Centralised Kitchen as per sub-rule (1):

Provided that in case a child has not taken food on offer for whatever reasons, no claim of food security allowance shall lie with the State Government or Centralised Kitchens:

Provided further that no claim shall lie with State Government or Centralised Kitchen for reasons of quality of food grains and meal:

(3) The State Government shall take action to fix responsibility on the person or agency in accordance with the procedure laid down, if mid day meal is not provided in school on school days continuously for three days or at least for five days in a month.

(4) Wherever an agency of Central Government is involved, the State Government shall take up the matter with Central Government which shall resolve the matter within a month.

10. **Saving.** - Nothing in these rules shall affect the guidelines issued in this behalf or likely to be issued by the Central Government regarding the activities relating to Mid Day Meal Scheme.

[F. No. 1-6/2009-Desk(MDM)]

GAYA PRASAD, Director (Mid Day Meal)